

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) गुजरात, राजकोट**  
**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E) GUJARAT, RAJKOT**

सं.प्रशा./ले. व ह./सेवानिवृत्त कार्मिक/व.ले.अ./खंड-1/  
No: Admn /A&E/Retd. Personnel/Sr. AOs/Vol-I/

**परिपत्र सं/CIRCULAR NO. 36 दिनांक/DATED 08/01/2025**

निम्नलिखित रिक्तियों के सामने अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिए भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखा अधिकारियों से निर्धारित प्रोफार्मा (संलग्न) में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

Applications in the prescribed proforma (enclosed) are invited from retired Sr. AOs of Indian Audit and Accounts Department for engagement on short term contract basis, against the following vacancies.

क्र.सं. Sr. No	पद / Post	कार्यालय / Office
1	वरिष्ठ लेखा अधिकारी Sr. Accounts Officer	राजकोट एवं अहमदाबाद Rajkot and Ahmedabad

**1. पात्रता/Eligibility:**

(i) सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी के संवर्गों में रिक्तियों की भर्ती के लिए पात्र होंगे।

Retired Sr. AOs/ AOs shall be eligible for hiring against the vacancies in the cadres of Sr. AO.

**2. नियम व शर्तें/ Terms and Conditions:-**

**(i) कार्यकाल और आयु सीमा / Tenure and age Limit:**

सेवानिवृत्त अधिकारियों को शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। कार्यकाल की अधिकतम संख्या पाँच तक सीमित रहेगी। इसके अलावा, किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी को 65 वर्ष की आयु से अधिक अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

The retired officers shall be hired on a short term contract basis initially up to a period of one year. The maximum number of terms shall be restricted to five. Further, no retired officer shall be hired on short term contract basis beyond the age of 65 years.

**(ii) पारिश्रमिक और भत्ते / Remuneration and Allowances:**

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक एवं भत्ते व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी OM No.3-25/2020-E.III A, दिनांक 09.12.2020 द्वारा शासित होंगे, जो कि निम्नानुसार हैं:

Remuneration and allowances payable to retired officers/ officials will be governed by OMNo.3-25/2020-E.III A, dated 09.12.2020 issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi, which is as under:

(ए) सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक राशि का भुगतान किया जाएगा, जो सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से मूल पेंशन काटकर प्राप्त की गई। निर्धारित राशि अनुबंध की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी।

- (a) The retired officers/ officials shall be paid a fixed monthly amount, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amounts fixed shall remain unchanged for the term of the contract.
- (बी) निवास और कार्यस्थल के बीच आवागमन के प्रयोजन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि की अनुमति दी जाएगी, जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी।
- (b) An appropriate and fixed amount as Transport Allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement.
- (सी) अनुबंध के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (c) No annual increment/ percentage increase, Dearness Allowance and House Rent Allowance shall be allowed during the contract.
- (iii) छुट्टी / Leave: अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिन की सवैतनिक अनुपस्थिति छुट्टी की अनुमति दी जाएगी। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक छुट्टी जमा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालाँकि, कर्फ्यू, बंद, हड़ताल, लॉकडाउन के दौरान अनुपस्थिति से उसी तरह निपटान जाएगा जैसे कि सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण से परे की घटनाएँ हैं।

Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service to the retired officials hired on short term contract basis. Accumulation of leave beyond a calendar year may not be allowed. However, absence during curfew, bandh, strike, lockdown should be dealt with in a similar way as in the case of serving officers/ officials as these are events beyond the control of any individual.

यदि अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी ऊपर बताए गए कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से एक महीने में सवैतनिक छुट्टी के पश्चात भी अनुपस्थित रहते हैं, तो उनका पारिश्रमिक निम्नानुसार आनुपातिक आधार पर काटा जाएगा:

$\frac{\text{निश्चित मासिक पारिश्रमिक} + \text{परिवहन भत्ता}}{22} \times \text{कार्य दिवसों पर अनुपस्थिति के दिनों की संख्या}$

22

If retired officers hired on short term contract basis remain absent, beyond paid leave in a month for reasons other than those indicated above, his/ her remuneration shall be deducted on pro-rata basis as under:

$\frac{\text{Fixed monthly remuneration} + \text{Transport Allowance}}{22} \times \text{No. of days of absence on working days}$

22

- (iv) अल्पावधि अनुबंध के आधार पर नियुक्त होने के लिए चुने गए सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को गोपनीयता के एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा जिसमें नैतिकता और सत्यनिष्ठा पर एक खंड शामिल होगा।

The retired officers/ officials selected to be hired on short term contract basis shall sign an agreement of confidentiality containing a clause on Ethics and Integrity.

आई.ए. एंड ए.डी. के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उपरोक्त कार्यों के लिए इच्छुक हैं, वे संलग्न प्रारूप में 05.02.2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

Retired officers/ officials of the IA&AD, fulfilling the eligibility criteria and willing for above assignments may apply in the enclosed format by 05.02.2025.


संलग्न/Encl.: आवेदन प्रपत्र / Application Form

हस्ता/-

उप महालेखाकार/प्रशासन  
Dy. Accountant General / Admin

प्रति/Copy to:

1. व. उप महालेखाकार/ले. व ह., कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), ऑडिट भवन, ईश्वर भुवन के पास, कॉमर्स सिक्स रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - सेवानिवृत्त व.ले.अ./ले.अ के बीच प्ररिचालित करने के अनुरोध के साथ सूचनार्थ।  
Sr. Dy. Accountant General /A&E, Office of the Principal Accountant General (A&E), Audit Bhavan, Near Ishwar Bhuvan, Commerce Six Road, Navrangpura, Ahmedabad- for information with request to circulate among retired Sr. AOs/AOs. (by FAX/EMAIL)
2. सूचना पटल - राजकोट/Notice Board –Rajkot
3. आईटीएस अनुभाग - कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए/ITS Section – to upload on Office Website
4. परिपत्र फ़ाइल/Circular file
5. हिंदी अनुभाग/Hindi Section

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशासन  
Sr. Accounts Officer/Admin

**APPLICATION FOR ENGAGEMENT OF RETIRED PERSONNEL AS**  
**SR. ACCOUNTS OFFICER**

1	Name, Address, Contact No. & Email ID	
2	Educational Qualification	
3	Date of Birth	
4	Year of passing of SAS/ SOGE Examination	
5	Date of Appointment and Post Date of Promotion as: (i) Clerk (ii) Accountant (iii) Sr. Accountant (iv) Assistant Supervisor (v) Supervisor (vi) Asstt. Accounts Officer (vii) Accounts Officer (viii) Sr. Accounts Officer	
6	Date of retirement	
7	In case of Voluntary Retirement, ground on which retired	
8	Basic Pay at the time of Retirement	
9	Name of office from which retired, and post held	
10	Working Experience	

I hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature of Applicant